

प्रेस- विज्ञप्तिथाना - रौनापारपुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामिया पशु/वाहन चोर घायल/गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा- कारतूस बरामद पूर्व की घटना

➔ दिनांक-25.01.2023 वादी राम केवल यादव निवासी शाहडीह थाना रौनापार की भैस चोरी की तहरीर पर मु0अ0सं0 36/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर प्रचलित विवेचना में अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था।

➔ दिनांक 22.02.2023 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में चार सहयोगी गिरफ्तार हुए थे तथा अभियुक्त शहजादे उर्फ छेदी पुत्र इकबाल सा0 कुरैश नगर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ मौके से फरार हो गया था जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 81/2023 धारा 307,467,468,471 भादवि व 3/5ए/8 गो.वध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधि., 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 25.02.2023 को थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह गांगेपुर कैची बंधा पर मौजूद थे कि प्रभारी चौकी महला उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह को मुखबीर ने आकर बताया कि एक बदमाश जो मुबारकपुर में कुछ दिन पहले हुई मुठभेड़ में मौके से भाग गया था जो शातिर चोर है। वह गांगेपुर बन्धा की तरफ से भुसउल होते हुए जियनपुर की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है।

इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम इण्टर कालेज के सामने रोड पर ही घेराबंदी करके चेकिंग करने लगे तभी दूर से एक मोटर साइकिल की रोशनी भुसवल की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस वालों ने टार्च जलाकर रोकने का इशारा किए कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल पीछे मोड़ कर भागना चाहा कि मोटर साइकिल गिर गई तथा वह व्यक्ति पैदल ही भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने व्यक्ति को रुकने के लिए ललकारे पर पुलिस टीम पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से अपने हाथ में लिए असलहा से फायर कर दिया। दूबारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने पर पुलिस टीम पर पुनः फायरिंग की गई। जिसमें उ0नि0 वंशराज सिंह बाल-बाल बच गए तत्पश्चात थानाध्यक्ष द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी जिससे वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गिरफ्तार बदमाश की पहचान शहजादे उर्फ छेदी पुत्र इकबाल सा0 कुरैश नगर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ जो कि 25000 रुपये का इनामिया बदमाश के रूप में हुई जिसको करीब 02.40 AM पर गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 49/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शहजादे उर्फ छेदी पुत्र इकबाल सा0 कुरैश नगर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

- 01 चोरी की मो0सा0
- 01 देशी .315 बोर
- 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 400/- रुपये.

आपराधिक इतिहास1. शहजादे उर्फ छेदी पुत्र इकबाल सा0 कुरैश नगर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़

- मु0अ0सं0 49/23 धारा 307/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट रौनापार
- मु0अ0सं0 36/23 धारा 379/411/34 भादवि रौनापार
- मु0अ0सं0 89/19 धारा 60 आबकारी अधि0 जियनपुर
- मु0अ0सं0 238/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 जियनपुर
- मु0अ0सं0 117/20 धारा 3(1) गैंगेस्ट एक्ट जियनपुर
- मु0अ0सं0 86/22 धारा 307/411/413 भादवि जियनपुर
- मु0अ0सं0 81/23 धारा 307/467/468/471/120बी/34/420/411/413/414 भादवि व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट मुबारकपुर
- मु0अ0सं0 70/23 धारा 379/411/34/120 भादवि मुबारकपुर
- मु0अ0सं0 77/23 धारा 379/411/34/120 भादवि मुबारकपुर
- मु0अ0सं0 77/23 धारा 307/411/420/473 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट फूलपुर
- मु0अ0सं0 55/23 धारा 401/411 भादवि देवगाँव

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम

- थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक थाना रौनापार आजमगढ़
- उ.नि. श्री वंशराज सिंह चौकी प्रभारी महला थाना रौनापार आजमगढ़
- उ0नि0 श्री उमाशंकर थाना रौनापार आजमगढ़
- हे0का0 ध्यानप्रकाश यादव थाना रौनापार आजमगढ़
- हे0का0 अवनैश कुमार दुबे थाना रौनापार आजमगढ़